

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 922 / 11

संस्थित दि.: 28 / 11 / 11

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड,

अन्तर्गत चौकी पाथरी जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

पूनाराम पिता टेकसिंह मरावी, उम्र 32 साल, जाति गोंड,

निवासी कोलवाटोला करमसरा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 03 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 21/10/2011 को समय 10:00 बजे, भुरूक-कंदई लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण से चलाकर फुंदेलाल धुर्वे को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाते हुये पाये व आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 0/11 धारा 174 जा.फौ. की जांच में पाया गया कि आरोपी पूनाराम दिनांक 21.10.2011 को फुंदेलाल को मोटरसाईकिल पर बिठाकर कंदई जा रहा था। रास्ते में आरोपी पूनाराम ने मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर फुंदेलाल को मोटरसाईकिल से

गिरा दिया, जिससे फुंदेलाल को चोट आई। ईलाज के दौरान मृतक फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट एवं मर्ग की जांच उपरान्त आरोपी पूनाराम के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड में अपराध क्रमांक 82/11 अन्तर्गत धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को जप्त कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट की है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 21/10/2011 को समय 10:00 बजे ग्राम भुरुक के पास मोड़ पर, भुरुक-कंदई आम रोड में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम. पी.50-एम.ई.1462 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण रीति से चलाकर फुंदेलाल धुर्वे को गिराकर उसकी मृत्यु ऐसी दशा में कारित की, जो अपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

- (ब) क्या आरोपी इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को बिना वैध लायसेंस के चलाते हुये पाये गये ?
- (स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 से दुर्घटना के पश्चात् आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी देवलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से करीब ढाई माह पुरानी है। फुंदेलाल आरोपी पूनाराम के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम भुरूक की ओर जा रहा था। पता चलने पर वह घटनास्थल पर गया तो उसे लोगों ने बताया कि मोटरसाईकिल से गिर गया। दुर्घटना के बाद फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना उसने पुलिस चौकी पाथरी को दी थी। मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-01 एवं शव सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-02, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-03, मृत्यु जांच उपस्थिति पत्रक प्रदर्श पी-04 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी और न ही उसे ग्राम भुरूक के लोगों ने बताया था कि मोटरसाईकिल आरोपी चला रहा था तथा साक्षी ने

अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी पूनाराम ने फुंदेलाल का ईलाज करवाया था एवं दुर्घटना मृतक फुंदेलाल की गलती/लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

(08) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक रामकिशोर (अ.सा. 10) का कहना है कि दिनांक 02.11.2011 को चौकी पाथरी से आरक्षक देवेन्द्र क्रमांक 952 के द्वारा आरोपी पूनाराम के विरुद्ध शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना मलाजखण्ड लाने पर उसने अपराध क्रमांक 82/11 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 के अन्तर्गत असल नम्बरी कायम की थी, जो प्रदर्श पी-13 है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 29.10.2011 को चौकी पाथरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये देवलाल धुर्वे की रिपोर्ट पर मर्ग इन्टीमेंशन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था तथा प्रदर्श पी-10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 30.10.2011 को मृतक फुन्देलाल का पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 एवं प्रदर्श पी-03 पंचो के समक्ष कार्यवाही कर तैयार किया था एवं मृतक फुन्देलाल के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। दिनांक 01.11.2011 को देवलाल की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। फरियादी देवलाल एवं गवाह कांतिबाई, झामसिंह, समनतबाई, अनिल, कहरसिंह, विजय, बुद्धनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 05.11.2011 को आरोपी पूनाराम से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा कम्पनी की जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। आरोपी पूनाराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.14612 का विधिवत् वाहन परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। आरोपी के पास वाहन चलाने के लायसेंस न होने एवं दुर्घटना के समय आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न कराकर भाग जाने से अन्तिम प्रतिवेदन में मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 एवं धारा 304ए के अन्तर्गत अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 एवं

मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-01 को असल नम्बरी हेतु थाना मलाजखण्ड भेजा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा. 12) का कहना है कि वह दिनांक 30.10.2011 को मृतक फुंदेलाल के शव का शव परीक्षण करवाने के लिये शासकीय अस्पताल बैहर लेकर आया था। उसे चौकी पाथरी द्वारा शव परीक्षण करवाने के लिये दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-15 है। मृतक फुंदेलाल का शव परीक्षण कराने के पश्चात् मृतक फुंदेलाल के शव को सुपुर्दनामा पर उसके वारसानों को दिया था तथा चौकी आकर थाना प्रभारी को आमद दिया था, जो प्रदर्श पी-16 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 30.11.2011 को उसने मृतक फुंदेलाल के बाह्य परीक्षण में दाहिनी आंख के उपर भरी हुई खरौंच एवं एक खरौंच हिल्ड दाहिनी छाती पर, मृतक के हाथ और पैर में अकड़न होना पाया, एक मूंदी हुई चोट विकृति लिये हुये सिर के दाहिने फ्रंटो पैराइटल भाग पर होना पाया। विच्छेद करने पर सिर की फ्रंटो पैराइटल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया। फ्रेक्चर पर खून जमा था तथा उसने मृतक के आन्तरिक परीक्षण में सिर के दाहिने टेम्पोरल भाग में अस्थिभंग होना, मस्तिष्क की झिल्ली व मेरुरज्जू में रक्त जमा होना, परदा, पसली कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ, श्वास नलिका, दाहिना व बाया फेफड़ा, पेरिऑन, पेरिकार्डियम, वृहद नलिका, पेट का परदा, आंतों की झिल्ली, मुंह, छोटी व बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय, भीतरी व बाहरी जननेन्द्रिया स्वस्थ व कंजस्टेड होना पाया। मृतक का पेट खाली था। हृदय के दाहिने चेम्बर में रक्त भुरा हुआ होना पाया। आहत को आई सभी चोटे एण्टीमार्टम नेचर है, जो सख्त एवं बोधरी वस्तु से पहुचाई गई है। मृतक की मृत्यु का कारण सिर के फ्रंटो पैराइटल हड्डी में आने के कारण हुई थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(10) अभियोजन साक्षी दीपक परते (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अपराध में एक मोटरसाईकिल का मैकेनिकल परीक्षण किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट

प्रदर्श पी-10 उसकी हस्तलिपि में लिखित नहीं है। प्रदर्श पी-10 की रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी तथा प्रदर्श पी-10 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(11) अभियोजन साक्षी कान्तिबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो माह पुरानी है। पूनाराम उसके घर मोटरसाईकिल से आया। उसका पति फुंदेलाल आरोपी पूनाराम के साथ भिलवाटोला जा रहा था। मोटरसाईकिल फुंदेलाल चलाते हुये ले गया था। ग्राम भुरूक के आगे मोड़ में जाकर मोटरसाईकिल गिर गई, जिससे फुंदेलाल को चोट लगी और ईलाज के दौरान आठ दिन बाद फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि मोटरसाईकिल को आरोपी पूनाराम ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की।

(12) अभियोजन साक्षी झामसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2012 की है। फुंदेलाल मोटरसाईकिल से आरोपी के साथ भिलवाटोला जा रहा गांव के लड़के ने उसे बताया कि फुंदेलाल की गाड़ी से गिरने से चोट आई। दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल फुंदेलाल चला रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पूनाराम ने फुंदेलाल का ईलाज कराया था।

(13) अभियोजन साक्षी श्रीमति सनमतबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से करीब तीन माह पुरानी है। उसका पुत्र फुंदेलाल अपने घर से आरोपी पूनाराम के साथ मोटरसाईकिल से निकला था। मोटरसाईकिल को फुंदेलाल चला रहा था। उसे पता चला कि फुंदेलाल मोटरसाईकिल से गिर गया है तो वह उसे देखने के लिये गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि मृतक फुंदेलाल का देहाती ईलाज करवाया गया था।

(14) अभियोजन साक्षी बुद्धनबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी हैं। घटना दिनांक को मृतक फुंदेलाल आरोपी की मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहा था। मोटरसाईकिल को घर से ले जाते समय

मोटरसाईकिल मृतक फुंदेलाल चला रहा था। उसे पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें फुंदेलाल घायल हो गया तथा बाद में फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि मृतक फुंदेलाल उसके घर से मोटरसाईकिल चला कर ले गया था तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-08 के अ से अ भाग के कथन नहीं दिये थे।

(15) अभियोजन साक्षी अनिल (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़-दो वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे बुद्धनबाई ने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। सूचना सुनकर वह घटनास्थल पर गये यहां आरोपी पूनाराम तथा फुंदेलाल स्कूल के पास बैठे थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि उसे घटना के बाद में पता चला था कि मोटरसाईकिल आरोपी पूनाराम चला रहा था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना के बाद उसे पता चला कि मोटरसाईकिल मृतक फुंदेलाल चला रहा था।

(16) अभियोजन साक्षी कहरसिंह (अ.सा. 11) का कहना है कि मृतक फुंदेलाल पूनाराम की गाड़ी पर बैठकर बाहर जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। फुंदेलाल के माता-पिता फुंदेलाल को उसके घर लेकर आये थे और सुबह बैलगाड़ी से लेकर अपने घर चले गये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और न ही उसने पुलिस को घटना के संबंध में कुछ बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी पूनाराम ने मोड़ पर मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक फुंदेलाल को गिरा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(17) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिए पुलिस से मिलकर आरोपी विरुद्ध झूठा प्रकरण

पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी देवलाल, दीपक परते, कान्तिबाई, झामसिंह, सनमतबाई, बुद्धनबाई, अनिल, कहरसिंह पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(18) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(19) अभियोजन साक्षी/फरियादी देवलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से करीब ढाई माह पुरानी है। फुंदेलाल आरोपी पूनाराम के साथ मोटरसाईकिल से ग्राम भुरूक की ओर जा रहा था। पता चलने पर वह घटनास्थल पर गया तो उसे लोगों ने बताया कि मोटरसाईकिल से गिर गया। दुर्घटना के बाद फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना उसने पुलिस चौकी पाथरी को दी थी। मार्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-01 एवं शव सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-02, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-03, मृत्यु जांच उपस्थिति पत्रक प्रदर्श पी-04 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष मौका नक्शा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि दुर्घटना आरोपी की गलती से नहीं हुई थी और न ही उसे ग्राम भुरूक के लोगों ने बताया था कि मोटरसाईकिल आरोपी चला रहा था तथा साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी पूनाराम ने फुंदेलाल का ईलाज करवाया था एवं दुर्घटना मृतक फुंदेलाल की गलती/लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

(20) अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक रामकिशोर (अ.सा. 10) का कहना है कि दिनांक 02.11.2011 को चौकी पाथरी से आरक्षक देवेन्द्र क्रमांक 952 के द्वारा आरोपी पूनाराम के विरुद्ध शून्य पर कायम कर असल नम्बरी हेतु थाना मलाजखण्ड लाने पर

उसने अपराध क्रमांक 82/11 अन्तर्गत धारा 304ए भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 134/187 के अन्तर्गत असल नम्बरी कायम की थी, जो प्रदर्श पी-13 है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता मनोज मांगरे (अ.सा. 8) का कहना है कि उसने दिनांक 29.10.2011 को चौकी पाथरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये देवलाल धुर्वे की रिपोर्ट पर मार्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था तथा प्रदर्श पी-10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। दिनांक 30.10.2011 को मृतक फुन्देलाल का पंचायतनामा एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-04 एवं प्रदर्श पी-03 पंचो के समक्ष कार्यवाही कर तैयार किया था एवं मृतक फुन्देलाल के शव को शव परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर भेजा था। दिनांक 01.11.2011 को देवलाल की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। फरियादी देवलाल एवं गवाह कांतिबाई, झामसिंह, समनतबाई, अनिल, कहरसिंह, विजय, बुद्धनबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 05.11.2011 को आरोपी पूनाराम से साक्षियों के समक्ष एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा कम्पनी की जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। आरोपी पूनाराम को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। जप्त मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.14612 का विधिवत् वाहन परीक्षण कर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। आरोपी के पास वाहन चलाने के लायसेंस न होने एवं दुर्घटना के समय आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न कराकर भाग जाने से अन्तिम प्रतिवेदन में मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 एवं धारा 304ए के अन्तर्गत अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 एवं मार्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-01 को असल नम्बरी हेतु थाना मलाजखण्ड भेजा था। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ.सा. 12) का कहना है कि वह दिनांक 30.10.2011 को मृतक फुन्देलाल के शव का शव परीक्षण करवाने के लिये शासकीय अस्पताल बैहर लेकर आया था। उसे चौकी पाथरी द्वारा शव परीक्षण करवाने के लिये दिया गया कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रदर्श पी-15 है। मृतक फुन्देलाल का शव परीक्षण कराने के पश्चात्

मृतक फुंदेलाल के शव को सुपुर्दनामा पर उसके वारसानों को दिया था तथा चौकी आकर थाना प्रभारी को आमद दिया था, जो प्रदर्श पी-16 है।

(21) अभियोजन साक्षी डॉक्टर आर.के.चतुर्वेदी (अ.सा. 7) का कहना है कि दिनांक 30.11.2011 को उसने मृतक फुंदेलाल के बाह्य परीक्षण में दाहिनी आंख के उपर भरी हुई खरौंच एवं एक खरौंच हिल्ड दाहिनी छाती पर, मृतक के हाथ और पैर में अकड़न होना पाया, एक मूंदी हुई चोट विकृति लिये हुये सिर के दाहिने फ्रंटो पैराइटल भाग पर होना पाया। विच्छेद करने पर सिर की फ्रंटो पैराइटल हड्डी में अस्थिभंग होना पाया। फ्रेक्चर पर खून जमा था तथा उसने मृतक के आन्तरिक परीक्षण में सिर के दाहिने टेम्पोरल भाग में अस्थिभंग होना, मस्तिष्क की झिल्ली व मेरुरज्जू में रक्त जमा होना, परदा, पसली कोमलस्थ, फुफ्फुस, कंठ, श्वास नलिका, दाहिना व बाया फेफड़ा, पेरिऑन, पेरिकार्डियम, वृहद नलिका, पेट का परदा, आंतों की झिल्ली, मुंह, छोटी व बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गुर्दा, मूत्राशय, भीतरी व बाहरी जननेन्द्रिया स्वस्थ व कंजस्टेड होना पाया। मृतक का पेट खाली था। हृदय के दाहिने चेंबर में रक्त भरा हुआ होना पाया। आहत को आई सभी चोटे एण्टीमार्टम नेचर है, जो सख्त एवं बोधरी वस्तु से पहुचाई गई है। मृतक की मृत्यु का कारण सिर के फ्रंटो पैराइटल हड्डी में आने के कारण हुई थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(22) अभियोजन साक्षी दीपक परते (अ.सा. 9) का कहना है कि उसने चौकी पाथरी थाना मलाजखण्ड के अपराध में एक मोटरसाईकिल का मैकेनिकल परीक्षण किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 उसकी हस्तलिपि में लिखित नहीं है। प्रदर्श पी-10 की रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी तथा प्रदर्श पी-10 पर उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

(23) अअभियोजन साक्षी कान्तिबाई (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो माह पुरानी है। पूनाराम उसके घर मोटरसाईकिल से आया। उसका पति

फुंदेलाल आरोपी पूनाराम के साथ भिलवाटोला जा रहा था। मोटरसाईकिल फुंदेलाल चलाते हुये ले गया था। ग्राम भुरूक के आगे मोड़ में जाकर मोटरसाईकिल गिर गई, जिससे फुंदेलाल को चोट लगी और ईलाज के दौरान आठ दिन बाद फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि मोटरसाईकिल को आरोपी पूनाराम ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की।

(24) अभियोजन साक्षी झामसिंह (अ.सा. 3) का कहना है कि घटना वर्ष 2012 की है। फुंदेलाल मोटरसाईकिल से आरोपी के साथ भिलवाटोला जा रहा गांव के लड़के ने उसे बताया कि फुंदेलाल की गाड़ी से गिरने से चोट आई। दुर्घटना के समय मोटरसाईकिल फुंदेलाल चला रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पूनाराम ने फुंदेलाल का ईलाज कराया था।

(25) अभियोजन साक्षी श्रीमति सनमतबाई (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन से करीब तीन माह पुरानी है। उसका पुत्र फुंदेलाल अपने घर से आरोपी पूनाराम के साथ मोटरसाईकिल से निकला था। मोटरसाईकिल को फुंदेलाल चला रहा था। उसे पता चला कि फुंदेलाल मोटरसाईकिल से गिर गया है तो वह उसे देखने के लिये गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि मृतक फुंदेलाल का देहाती ईलाज करवाया गया था।

(26) अभियोजन साक्षी बुद्धनबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग दो वर्ष पुरानी हैं। घटना दिनांक को मृतक फुंदेलाल आरोपी की मोटरसाईकिल पर बैठकर जा रहा था। मोटरसाईकिल को घर से ले जाते समय मोटरसाईकिल मृतक फुंदेलाल चला रहा था। उसे पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें फुंदेलाल घायल हो गया तथा बाद में फुंदेलाल की मृत्यु हो गई। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि मृतक फुंदेलाल उसके घर से मोटरसाईकिल चला कर ले गया था तथा उसने पुलिस को प्रदर्श पी-08 के अ से अ भाग के कथन नहीं दिये थे।

(27) अभियोजन साक्षी अनिल (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग डेढ़-दो वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को उसे बुद्धनबाई ने एक्सीडेंट के बारे में बताया था। सूचना सुनकर वह घटनास्थल पर गये यहां आरोपी पूनाराम तथा फुंदेलाल स्कूल के पास बैठे थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया है कि उसे घटना के बाद में पता चला था कि मोटरसाईकिल आरोपी पूनाराम चला रहा था, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना के बाद उसे पता चला कि मोटरसाईकिल मृतक फुंदेलाल चला रहा था।

(28) अभियोजन साक्षी कहरसिंह (अ.सा. 11) का कहना है कि मृतक फुंदेलाल पूनाराम की गाड़ी पर बैठकर बाहर जा रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। फुंदेलाल के माता-पिता फुंदेलाल को उसके घर लेकर आये थे और सुबह बैलगाड़ी से लेकर अपने घर चले गये थे। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे और न ही उसने पुलिस को घटना के संबंध में कुछ बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी पूनाराम ने मोड़ पर मोटरसाईकिल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक फुंदेलाल को गिरा दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(29) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी देवलाल, दीपक परते, कान्तिबाई, झामसिंह, सनमतबाई, बुद्धनबाई, अनिल, कहरसिंह के कथन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी देवलाल, दीपक परते, कान्तिबाई, झामसिंह, सनमतबाई, बुद्धनबाई, अनिल, कहरसिंह के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार

किया है कि आरोपी ने दिनांक 21/10/2011 को समय 10:00 बजे, भुरूक-कंदई लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण से चलाकर फुंदेलाल धुर्वे को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाते हुये पाये व आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 21/10/2011 को समय 10:00 बजे, भुरूक-कंदई लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण से चलाकर फुंदेलाल धुर्वे को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाते हुये पाये व आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई।

(30) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 21/10/2011 को समय 10:00 बजे, भुरूक-कंदई लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर क्रमांक एम.पी.50-एम.ई.1462 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्ण से चलाकर फुंदेलाल धुर्वे को गिराकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती एवं बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाते हुये पाये व आहत को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(31) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 134/187 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(32) प्रकरण में आरोपी जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(33) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा स्पलेंडर

क्रमांक एम.पी.50—एम.ई.1462 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)